झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

किमिनल एम0पी0 संख्या–24 वर्ष 2021

गौरव कुमार सिंह उर्फ गौरव सिंह .... याचिकाकर्त्ता(गण)

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी(गण)

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनन्दा सेन**

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम स

याचिकाकर्त्ता(गण) के लिए :– श्री अरविंद कुमार, अधिवक्ता।

राज्य के लिए :– ए0पी0पी

04 / 09.02.2021 अधिवक्ता को कार्यवाही के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है, जिसे आज सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है। उन्हें ऑडियो और वीडियो स्पष्टता और गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत नहीं है।

पक्षों के अधिवक्ता को सुना।

इस याचिका को दायर करने के माध्यम से, याचिकाकर्त्ता ने दिनांक 15.7.2020 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की है, जिसके द्वारा विद्वान जे0एम0, प्रथम श्रेणी, राँची ने बरियातु थाना काण्ड संख्या 125 / 2020 (एस0टी0 संख्या 277 / 2020) के संबंध में याचिकाकर्त्ता के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर–जमानती वारंट जारी किया है।

जैसा कि आक्षेपित आदेश में उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्त्ता आई0पी0सी0 की धारा 324, 307 और 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 (ए) के तहत अपराध करने में शामिल था। यह केवल याचिकाकर्त्ता के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर–जमानती वारंट जारी करने का आधार है। सीआर0पी0सी0 की धारा 73 के मद्देनजर, आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर–जमानती वारंट जारी करने के लिए एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप है, जो प्रकृति में गैर–जमानती है, तो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है यदि वह अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्त्ता अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है।

उपरोक्त तथ्य के मद्देनजर, दिनांक 15.07.2020 के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है।

हालांकि जांच अधिकारी अदालत से कोई आदेश लिए बिना याचिकाकर्त्ता को गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि अपराध, प्रकृति में संज्ञेय और गैर–जमानती है। याचिकाकर्त्ता को गिरफ्तार करना जांच अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में अच्छी तरह से है।

तद्नुसार, इस याचिका का निपटारा किया जाता है।

(श्री आनन्दा सेन, न्याया0)